(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1750–एक/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18 फरवारी, 2016 – पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 50/अ–6/2015–16 अपील

बद्री पटैल पुत्र बाला पटैल
निवासी ग्राम दूल्हा देव
तहसील गौरिहार जिला छतरपुर ––– आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ––– अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री अनिल कुमार पाठक अभिभाषक)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 7 जून, 2016 को पारित)

यह अपील आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 50/अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शिकायतकर्ता रामकेश पुत्र भगवान दास ने नायव तहसीलदार सरबई तहसील गौरिहार को शिकायती आवेदन देकर बताया कि ग्राम दूल्हा देव स्थित भूमि सर्वे कमांक 205 रकबा 0.317 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 206/1 रकबा 0.433 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर आवेदक का फर्जी नाम अंकित हुआ है जिसे निरस्त किया जाय। नायव तहसीलदार ने शिकायती

आवेदन पर प्रकरण कमांक 28/अ-6-अ/08-09 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सूचना पत्र जारी किया। आवेदक के अनुपस्थित रहने पर नायव तहसीलदार ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 10-7-2009 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि पर से शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम निरस्त करना आदेशित करते हुये मध्य प्रदेश शासन के नाम भूमि बंजर मद में अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 124/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-5-12 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 50/अ-6/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2016 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार सरवई के प्रकरण कमांक 28/अ-6-अ/08-09 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2009 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नायव तहसीलदार ने आवेदक को अनुपस्थित मानकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया है इस प्रकार प्रथम दृष्टया नायव तहसीलदार का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धॉतों के अनुरूप होना नहीं है और इस तथ्य पर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर ने एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने गौर नहीं किया है।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा खसरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि आवेदक कई वर्षो पूर्व से वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी अंकित होकर मौके पर खेती करते आ रहा है । खसरा वर्ष

1992-93 लगायत 1999-2000, किस्तबंदी खतौनी (बी-1) वर्ष 2004-05, खसरा वर्ष 2004-05 लगायत 2007-08 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि किस्तबंदी खतौनी (बी-1) एंव खसरों में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के कालम में निरन्तर दर्ज चला आ रहा है जिसे नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 28/अ-6-अ/08-09 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2009 से विलोपित कराते हुये भूमि शासकीय बंजर मद में दर्ज कराई है परन्तु भूमिस्वामी का नाम हटाये जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आधार होना अंकित नहीं किया है, अपितु केवल पटवारी व्दारा फर्जी प्रविष्टि करना अंकित करते हुये आदेश पारित किया है। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-9-07 का अॅश उद्धरण इस प्रकार है :-

" खसरे के कालम नंबर 15,16 पर प्र.क. 816 अपठनीय (4)/87-88 आदेश दिनांक 1-8-88 के व्दारा ख.नं. 205, 207 रकबा 0.312, 0.507 में से 206/1 रकबा 0.433 है. का पटटा बद्री के नाम पर पटटा मन्जूर की टीप अंकित है। इसी प्रकार ख.नं. 206 रकबा 0.243 है. वजा सं. 2006 से 2029 तक अंकित रही है तथा सं. 2030 में श्रीमान जिला भू अधीक्षक महो. के प्र.क. 19/अ-65/72-73 आदेश दिनांक 24-12-73 के व्दारा ख.नं. 206 रकबा 0.60 में से 0.25 एकड़ आबादी घोषित करने की टीप अंकित है। "

विचार योग्य है कि जब प्र.क्र. 816 अपठनीय (4)/87-88 आदेश दिनांक 1-8-88 के वादोक्त भूमि का पटटा आवेदक के नाम होने की प्रविष्टि है एंव तदाशय की खसरे में एंव बी-1 में वर्ष 1988 से निरन्तर आवेदक भूमिस्वामी अंकित चला आ रहा है तथा मौके पर आवेदक सिंचित खेती करते आ रहा है, यदि भूमि शासकीय थी और आवेदक निरन्तर काविज होकर सिंचित खेती वर्ष 1988 से निरन्तर वर्ष 2009 तक करते रहना पाया गया है । इतनी लम्बी अवधि के बीच नायव तहसीलदार / तहसीलदार अथवा अन्य राजस्व

अधिकारियों ने जॉच क्यों नहीं की अथवा शासकीय पदाधिकारियों ने शासकीय भूमि पर से आवेदक का कब्जा हटाने का एंव सिंचाई का साधन न बनाने देने /रोकन की कार्यवाही की है ? इतने लम्बे अंतराल में राजस्व अधिकारियों व्दारा भूमि के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं करना पाया गया है और न ही नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10-7-2009 में ऐसा कोई तथ्य अंकित किया है । नायव तहसीलदार ने उक्तांकित प्रकरणों को शोध करने का प्रयास भी नहीं किया है तथा आवेदक को तदाशय का अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया है । इस प्रकार एकपक्षीय कार्यवाही करके आदेश पारित करना व भूमि शासकीय घोषित करना बैधानिक प्रकिया पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत खसरा वर्ष 1992-93 लगायत 1999-2000, किस्तबंदी खतौनी (बी-1) वर्ष 2004-05, खसरा वर्ष 2004-05 लगायत 2007-08 में निरन्तर अंकन अनुसार वर्ष 1988 से 2009 तक (21) वर्ष तक आवेदक भूमिस्वामी अंकित होकर खेती करते आया है जिसे 21 वर्ष वाद बेदखल कर आवेदक कृषक की आजीविका चलाने का साधन छीनना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 115 सहपठित 116- पूर्वाधिकारी व्दारा पारित आदेश अनुसार शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि - ऐसी प्रविष्टि भले ही शॅकास्पद हो - समान अधिकारी व्दारा प्रकरण पंजीबद्ध कर संहिता की धारा धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती - विधिक उपचार अपील/निगरानी है।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 115 सहपठित 116- पूर्वाधिकारी व्दारा पारित आदेश अनुसार शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि - प्रविष्टि शॅकास्पद है - समान-स्तर के राजस्व अधिकारी व्दारा पूर्व प्रकरण री-ओपिन करने के पूर्व नियत समयावधि में सक्षम अधिकारी से पुनरावलोकन की अनुमति लेकर कार्यवाही की जा सकेगी।**

विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार सरवाई तहसील गौरिहार ने प्रकरण कमांक 28/अ-6-अ/08-09 में आदेश दिनांक 10-7-2009

पारित करने के पूर्व न तो सक्षम अधिकारी से पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त की है और न ही उन्हें स्वमेव निगरानी की अधिकारिता है। अतएव नायव तहसीलदार सरवाई तहसील गौरिहार व्दारा प्रकरण कमांक 28/अ-6-अ/08-09 में अपनाई गई प्रक्रिया प्रारंभ से ही दूषित होकर उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 10-7-2009 विधि के प्रभाव से शून्यवत् है तथा अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर व्दारा प्रकरण कमांक 124/2008-09 अपील में आदेश दिनांक 14-5-12 पारित करते समय एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 50/अ-6/2015-16 अपील में आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2016 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 50/अ-6/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2016, अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर व्दारा प्रकरण कमांक 124/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-5-12 तथा तहसीलदार सरवाई तहसील गौरिहार व्दारा प्रकरण कमांक 28/अ-6-अ/08-09 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा ग्राम दूल्हा देव स्थित भूमि सर्वे कमांक 205 रकबा 0.317 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 206/1 रकबा 0.433 हैक्टर पर आवेदक का शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर